प्रेषित,

1. सम्पादक, हरि भूमि, नारनौल
2. सम्पादक, दैनिक जागरण, नारनौल।

क्रमांकः– DMC/NNL/3457-58 दिनांकः– 18/12/24.

विषयः– **लाल डोरा/आबादीदेह शहरी क्षेत्र, जिला महेन्द्रगढ के सम्पत्ति प्रमाण ~~पत्र~~ हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने बारे।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामले में अनुरोध है कि शहरी क्षेत्र में लाल डोरा/आबादीदेह सम्पत्ति के सम्पत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने है। इसलिए आपको लिखा जाता है कि सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर संलग्न सार्वजनिक सूचना स्थानीय अखबार में दिनांक 19.12.2024 को प्रकाशित करवाने का कष्ट करें तथा प्रकाशित अखबार की 06 प्रतियां कार्यालय जिला नगर आयुक्त, महेन्द्रगढ स्थित नारनौल में भिजवाने का कष्ट करें।

जिला नगर आयुक्त,
महेन्द्रगढ स्थित नारनौल।

पृ0क्रमांकः– DMC/NNL/3459-63 दिनांकः– 18/12/24.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, नारनौल को भेजकर लिखा जाता है कि उपरोक्त विज्ञापन पर होने वाले खर्च की अदायगी नगर परिषद, नारनौल कार्यालय से करना सुनिश्चित करें।
2. सचिव, नगर पालिका, महेन्द्रगढ/कनीना/नांगल चौधरी/अटेली मण्डी।

जिला नगर आयुक्त,
महेन्द्रगढ स्थित नारनौल।

सार्वजनिक सूचना

लाल डोरा/आबादीदेह शहरी क्षेत्र, जिला महेन्द्रगढ के सम्पत्ति प्रमाण पत्र बारे

इस नोटिस/इश्तिहार के माध्यम से सभी आम व खास को सूचित किया जाता है कि संपतिकर सर्वे के दौरान दर्ज प्रविष्टियों व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पत्र कमांक DULB/DMC-HQ-2024/142 दिनांक 12.03.2024 व पत्र कमांक DULB/CTP-II/2024/134 दिनांक 11.07.2024 द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला महेन्द्रगढ की सभी परिषद/पालिकाओं क्रमशः नारनौल, महेन्द्रगढ, अटेली मण्डी, नांगल चौधरी, कनीना द्वारा लाल डोरे/आबादीदेह में स्थित संपतियों का संपति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है जिसकी एक सूची सम्बन्धित नगर परिषद/पालिकाओं की गृहकर/सम्पत्तिकर शाखा में व एक सूची सम्बन्धित नगर परिषद/पालिकाओं के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है जिसे कोई भी आमजन नगर परिषद/पालिकाओं कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर उपस्थित होकर सूची का अवलोकन कर सकता है, साथ में ही यह सूची सम्बन्धित परिषद/पालिकाओं की वेबसाइट https://ulbharyana.gov.in/Narnaul/569, https://ulbharyana.gov.in/Mohindergarh/841#myCarousel, https://ulbharyana.gov.in/AteliMandi/2865, https://ulbharyana.gov.in/NangalChaudhary/844 https://ulbharyana.gov.in/Kanina/842 पर भी उपलब्ध है। जिस किसी आमजन को प्रकाशित सूची पर किसी प्रकार का एतराज या आपत्ति है तो वह अपने दस्तावेजों सहित प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अंदर–अंदर अपना एतराज/आपत्ति लिखित में दस्तावेजों सहित सम्बन्धित परिषद/पालिकाओं की गृहकर/सम्पत्तिकर शाखा में सुनवाई हेतु जमा करवा सकता है। नोटिस की समयावधि समाप्त होने उपरान्त किसी भी एतराज/आपत्ति पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी सम्पत्ति पर कोई दावा/आपत्ति ना आने की एवज में जारी की गई सम्पत्ति प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में सम्बन्धित परिषद/पालिकाओं की कोई जिम्मेवारी ना होगी।

सूचित रहें।

जिला नगर आयुक्त,
महेन्द्रगढ स्थित नारनौल।